न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 144 / 2015

उनवान

1. चावण्ड सिह पुत्र मोती सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह राजपूत नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. कुलदीप सिंह पुत्र भवानी सिंह राजपूत नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. श्रीमती नीतू कंवर उर्फ रामभंवर कंवर पुत्री भवानी सिंह राजपूत पत्नी महावीर सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. श्रीमती पुष्पाकंवर पत्नी भवानी सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. किशन सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत नाबालिग बबिलायत माता श्रीमती चांद कंवर पत्नी नारायण सिह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत नाबालिग बबिलायत माता श्रीमती चांद कंवर पत्नी नारायण सिह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. श्रीमती चांद कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 86 / 14 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.6.2015

अधिवक्तागण :—

1. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री रणवीर सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 23.7.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति स्व0 भवानी सिंह जी एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पति नारायण सिंह जी की सामलाती खाते की अविभाज्य कृषि खातेदारी भूमि मोजा सरथला के राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 125 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 138 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 141 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 481 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। वादी का कुलिया भूमि में से 1/6 हिस्सा है । वादी को अपने हिस्से की सीमा तक भूमि पर काश्त करने का पूर्णत: अधिकार है। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की सीमा तक काश्त करने से रोकने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है न ही वादी के हिस्से की खातेदारी से इंकाकर करने का अधिकार है। वादी का वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हिस्सा कब्जे सहित सुरक्षित है क्योंकि वादी ने अपने हिस्से को न तो किसी को विक्रय किया है न रहन किया है न ही उस हिस्से का अन्तरण किया है । वादी ने अपने 1/6 हिस्से का कब्जा भी किसी को काश्त करने अथवा अन्तरण के द्वारा अन्य को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हस्तान्तरित नहीं किया है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त जायदाद में वादी के 1/6 हिस्से के स्वामित्व व कब्जे से इंकार करने का अधिकार नहीं है। 1/2 हिस्से की खातेदार सायरकंवर, कैलाश कंवर , लक्ष्मण कंवर से वादी का कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण अकारण ही वादी को उसके हिस्से की भूमि पर कातश नहीं करने दे विवाद करते रहते हैं। वादी के काश्त करने में अनावश्यक बाधा पहूॅचाते रहते है व काश्त करने से रोकते है । प्रतिवादीगण ने वादी गई फसल की बुआई के समय दिनांक 18.11.2013 को धमकी दी कि वे वादी को उसके 1/6 हिस्से पर काश्त नहीं करे दे स्वयं काश्त करेंगें। इस कारण वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने से वंचित रहा व कुछ हिस्से पर काश्त कर पाया । प्रतिवादीगण वादी को धमकी दे रहे हैं कि वादी ने फसल बुआई तो कर दी अब उसे काटने नहीं देंगे। भुजबल व पाशविक बल का उपयोग कर फसल को हांक देंगे व खेत को चोपट कर देंगें एवं जबरन कब्जा कर लेंगें। अतः प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त कृषि आराजी नम्बर 125 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 138 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 141 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 481 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा में वादी के बनने वाले 1/6 हिस्से पर उसे काश्त करने से नहीं रोगे , जबरन बेदखल नहीं करे, तथा वादी के हिस्से को नष्ट प्रायः कर उसके कृषि स्वरूप को नहीं बिगाडे ।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.6.2015 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण लोक अदालत कैम्प सरथला में रखा गया जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को नहीं दी गई। अपीलार्थी को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.2.2015 के आधार पर अपीलार्थी के वाद पत्र को खारिज किया है। जबकि दिनांक 25.2.2015 को जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया । जो कि नामान्तरकरण संख्या 702 के विरूद्ध अपील प्रकरण संख्या 2 / 2013 थी। जिसे खारिज कर पत्रावली तहसीलदार माण्डलगढ को रिमाण्ड की गई व नामान्तरकरण में विधिवत रूप से सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया । जिस पर अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व प्रकरण में सुनवाई करने हेतु निवेदन किया । लेकिन तहसीलदार माण्डलगढ ने कोई सुनवाई नहीं की। नामान्तरकरण भी मृत व्यक्ति के नाम पर खोला गया है। दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु अलग अलग थी। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है। प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प मे किया गया है। राजस्व लोक अदालत केम्प में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अपीलार्थी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.6.2015 को निरस्त की जावे व प्रकरण प्रेषित कर वादी/अपीलार्थी का वाद सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

5. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

6. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। ग्राम सरथला तहसील माण्डलगढ स्थित खाता संख्या 119 के आराजी नम्बर 125, 138, 141, 481 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि मोती सिंह पिता लाल सिंह राजपूत के नाम दर्ज थी। जिनकी विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत सरथला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 6.8.1998 को खोला गया । जिसके तहत वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी चावण्ड सिंह पिता मोती सिंह का 1/6 हिस्सा दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार अंकित किया गया । राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी चावण्ड सिंह पिता मोती सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात में 1/6 हिस्सा दर्ज होने से अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी/वादी का नाम दर्ज होने से वादी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया । चूंकि वाद पत्र प्रस्तुत करते समय वादी का नाम वादग्रस्त आराजियात में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था । इसलिए वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पंजिबद्ध किया गया परन्तु ग्राम पंचायत सरथला द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 6.8.1998 की अपील उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत हो जाने पर प्रकरण संख्या 2/2013 दिनांक 25.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया गया । बाद विचारण निर्णय दिनांक 25.2.2015 को अपीलाण्ट पुष्पाकंवर की अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ द्वारा आदेश पारित किया गया कि '' अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सरथला नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 6.8.1998 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 702 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार माण्डलगढ को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलाण्ट की विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर अज सिरे नो निर्णय पारित करे।'' उक्त निर्णय की अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर में प्रस्तुत की गई । जो दिनांक 26.12.2016 को निरस्त की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2016 की कोई अपील नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.2.2015 यथावत रहा है। वर्तमान में अपीलाण्ट विवादित आराजियात का रिकार्डेड सहखातेदार होना रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। अतः विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित अपील के निर्णय के प्रकाश में जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। यदि अपीलाण्ट विधिक रूप से सहखातेदार दर्ज हो जाते हैं, तभी वे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने के अधिकारी हो सकते हैं। वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार ही नहीं रहा । ऐसी स्थिति में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया है । धारा 188 के वाद पत्र में कोई अनुतोष रिकोर्डेड खातेदार ही प्राप्त कर सकता है, तथा निर्णय की दिनांक को अपीलाण्ट का रिकार्डेड खातेदार दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं होना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित होने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यही निष्कर्षण किया गया है पूर्व में न्यायालय आदेश दिनांक 25.2.2015 के अनुसार नामान्तरकरण निरस्त किये जाने से अपीलाधीन प्रकरण में 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद को सुना जाना न्यायसंगत नहीं है। अपीलाण्ट दौराने अपील स्वयम् का नाम खातेदार के रूप्में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होना स्वीकार कर चुके हैं, अतः धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.6.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 23.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/7/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 144 / 2015

उनवान

1. चावण्ड सिह पुत्र मोती सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह राजपूत नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. कुलदीप सिंह पुत्र भवानी सिंह राजपूत नाबालिग जरिये बबिलायत माता श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी भवानी सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. श्रीमती नीतू कंवर उर्फ रामभंवर कंवर पुत्री भवानी सिंह राजपूत पत्नी महावीर सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. श्रीमती पुष्पाकंवर पत्नी भवानी सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. किशन सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत नाबालिग बबिलायत माता श्रीमती चांद कंवर पत्नी नारायण सिह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत नाबालिग बबिलायत माता श्रीमती चांद कंवर पत्नी नारायण सिह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
7. श्रीमती चांद कंवर पत्नी नारायण सिंह राजपूत निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 86 / 14 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.6.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 144 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 23.7.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री अमित कोठारी वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री रणवीर सिंह चुण्डावत की उपस्थिति मे दिनांक 23.7.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.6.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 23.7.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस